

# ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)



जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: 22.10.2021

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख:

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: चिंचुटी संहिरिया

चिंचुटी संहिरिया

ग्राम पंचायत का नाम:

चिंचुटी वृषभुर्ग

बलराम फर

ज़िला का नाम:

उत्तर-प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ०२ (संख्या) मवेरी कुंडों को और ०.२ (संख्या) कपडे धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् १० घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वाले ६०.५ एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्षा पृष्ठ ०२४ तक प्रमाणित परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गद्दते जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मोठ पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का १० %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

4. पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

11. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पेय जल स्व' वर्षदता समिति

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: राम राज

तिंग: ४८

आयु: 46

सदस्य का नाम

तिंग

आयु

मंपक  
P.C

67.1

# सामाजिक विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार:  
 जनसंख्या: \_\_\_\_\_  
 परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 महिलाओं की संख्या: \_\_\_\_\_  
 पुरुषों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 बच्चों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 एक.एच.टी.सी. की संख्या: \_\_\_\_\_

2232

580  
620  
1032

वर्तमान पंचायत/ आंगनबाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार:  
 वर्तमान जनसंख्या: \_\_\_\_\_ 3000  
 परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 महिलाओं की संख्या: \_\_\_\_\_ 700  
 पुरुषों की संख्या: \_\_\_\_\_ 800  
 बच्चों की संख्या: \_\_\_\_\_ 1500  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: \_\_\_\_\_

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण  
 - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मध्यशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): ~~पशु 1367 घट 92 - 145 = 281~~

9. कृषि फसल पैटर्न: तीमार/मिठावारी

गवाना	प्रमुख फसलें	खरीफ	रवी
गवाना	राशना	X	✓
धान	हाना	✓	
मक्का	माइठा	✓	✓
कपास	X	X	
मट्टी	✓		
अन्य			

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. मि.): \_\_\_\_\_ 460 मिलिमीटर

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समातल

## IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)
13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14. क्र. सं. सार्वजनिक संस्था का नाम क्या एफ.एच.टी.सी. क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) सोखता गड्ढों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
- |                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| 1. स्कूल             | ✓ | X | ✓ |
| 2. आंगनबाड़ी         | ✓ | X | X |
| 3. स्वास्थ्य केन्द्र | X |   |   |
| 4. ग्राम पंचायत भवन  |   |   |   |
| 5. अन्य              |   |   | ✓ |

की कुल दैनिक आवश्यकता

5. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: \_\_\_\_\_ के.एल.डी.  
मरेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: \_\_\_\_\_ के.एल.डी.

मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: \_\_\_\_\_ के.एल.डी.  
अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: \_\_\_\_\_ के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न,  
पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति प्रयाप्त क्षुरक्षित बन छाड़ न आ हावरी बन छाड़  
17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टैकिया, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति प्रयाप्त क्षुरक्षित बन छाड़ 12  
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित भांशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त प्रस्तु पानी रंगी  
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: डायरिया। ग्रीस्टो। किंडनी। ग्राहिया। पीलीशा। बमि विविहा।  
कुच्चार आर।  
पानी की गुणवत्ता
20. फौल्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_
21. सेनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_
22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत  
का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

भाष्यदंड	तरीका	परिणाम
बट्टनी	इश्य तुलना	1.83
पीएच	मध्य रंग तुलना	1.85
पूर्ण लवणता	ट्रिमेट्रिक विधि	3.20
पूर्ण क्षारीयता	ट्रिमेट्रिक विधि	17.01
क्लोराइड	ट्रिमेट्रिक विधि	
अमोनिया	इश्य रंग तुलना	
फास्फेट	इश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	इश्य रंग तुलना	
आयरन	इश्य रंग तुलना	0.33
नाइट्रेट	इश्य रंग तुलना	
फ्लोराइड	इश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	इश्य रंग तुलना	

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे  
अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

अवस्थिति का नाम

घरों की संख्या

आबादी

## सोत स्थायित्व

24. भू-जल सोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हॉ/नहीं)
25. गाँव में उन मौजूदा जल अडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:  
गंदला जल का प्रबंधन
26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): \_\_\_\_\_ के.एल.डी.
- अलग-अलग सोख्ता गड्ठों वाले परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_  
उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोख्ता गड्ठों की आवश्यकता है: \_\_\_\_\_  
आवश्यक सामुदायिक सोख्ता गड्ठों की संख्या: \_\_\_\_\_  
क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हॉ /नहीं): \_\_\_\_\_  
यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: \_\_\_\_\_  
यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? \_\_\_\_\_

## V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:
- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
  - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
  - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
  - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
  - वाटर गिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
  - मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं
28. अभिनिर्धारित जल सोत टांडा घृष्णु का उत्कन्तीकृत और सामाजिक-आर्थिक सुन्दरीकरण के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: \_\_\_\_\_ की द्वारा उत्तम संचयन विकास की गयी।  
इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: \_\_\_\_\_ पंचायत टिक्कुड़ा सांघिया  
वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: \_\_\_\_\_ R.W.S की संपर्क  
योजना की लागत: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: \_\_\_\_\_ राज्य का हिस्सा: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:  
समुदाय का हिस्सा: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/  
प्रयोक्ता शुल्क: \_\_\_\_\_ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित  
पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

## VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजना का नाम	केन्द्रीय सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवां वित्त आयोग	ग्राम पंचायत	ग्रे-वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम आदि।	
स्वच्छ भारत	पैयजल और स्वच्छता विभाग,	ग्रे-वाटर मैनेजमेंट - सोख्ता गड्ठे (व्यक्तिगत / सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।	
मिशन - ग्रामीण (एस.वी.एम.जी.)	जल शक्ति मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.)	
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ	

## योजना का नाम

एकीकृत वाटरशेड  
प्रबंधन कार्यक्रम  
(आई.डब्ल्यू.एम.पी.)

जल भाड़ारों की मरम्मत,  
नवीनीकरण और  
जीर्णोद्धार

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना  
(आर.के.टी.वाई.)

प्रधानमंत्री कृषि  
सिंचाई योजना  
(पी.एम.के.एस.वाई.)

क्षेत्रिपूरक बनीकरण  
कोष प्रबंधन भौर  
आयोजना प्राधिकरण

प्रधानमंत्री कौशल  
विकास योजना  
(पी.एम.के.एस.वाई.)

समग्र शिक्षा

आकाशी जिला  
कार्यक्रम

जिला खनिज विकास  
निधि (डी.एम.ए.फ)

एम.पी.एल.ए.डी.

एम.एल.ए.एल.ए.डी.

संविधान के अनुच्छेद 275 (1)  
के तहत अनुदान/जनजातीय  
उप योजना (टी.एस.एस.)

दोलदाता/प्रायोजक

केन्द्र/राज्य  
सरकार का विभाग  
भूमि संसाधन विभाग

जल संसाधन, नदी विकास  
और गंगा संरक्षण विभाग

कृषि, सहकारिता और  
किसान कल्याण  
कृषि, सहकारिता और  
किसान कल्याण मंत्रालय

पर्यावरण, वन और  
जलवायु परिवर्तन  
मंत्रालय

कौशल विकास और  
उद्यमिता मंत्रालय

मानव संसाधन  
विकास मंत्रालय

नीति आयोग

राज्य  
संस्थियकी और कार्यक्रम  
कार्यान्वयन मंत्रालय  
(एमओएसपीआई)

राज्य

जनजातीय मामलों  
का मंत्रालय और  
राज्य

तंत्रजित गतिविधियाँ और  
शुरू की जा सकती हैं

वाटरशेड प्रबंधन/आर.डब्ल्यू.एच./  
कॉरिम पुनर्भरण, जल निकायों का  
निर्माण/वृद्धि आदि।

बड़े जल मंडरों का  
जीर्णोद्धार

वाटरशेड से संबंधित कार्य

जल की अधिक खपत दाली दिशेन्ज  
फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का  
प्रावधान, एकवीकरण से जल की निकासी  
को कम करने के लिए  
बनीकरण, वन पारिस्थितिकी  
तंत्र का पुनर्जनन, वॉटरशेड  
विकास, आदि।

आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए  
आवश्यक मानव संसाधनों के लिए  
कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि

स्कूलों में पेयजल  
आपूर्ति का प्रावधान

जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध  
विरेकादीन निधियों के तहत  
जल संरक्षण गतिविधियाँ

बड़े पैमाने पर जल  
संरक्षण गतिविधियाँ  
अंतःग्राम अवसंरचना

अंतःग्राम अवसंरचना

अंतःग्राम अवसंरचना

प्रस्तावित  
निधि

मध्यसंच का हस्ताक्षर २१८२८५

पी.एस.डी.आर.डब्ल्यू.एस. लिमिटेड के मध्यिकारी का नाम और हस्ताक्षर :  
आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो) : Mohamed

#### संघके विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, मर्यादित वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समितिप्रधायका समूह, आदि का अध्यक्ष:  
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर: अद्वृतल लहाद गो०-९६४८६७९०६७  
जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर: राजा नरायण लगा गो०-९६३९९८१९९।  
पानी की गुणवत्ता की चौकटी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

- बास मती पत्नी बन्दराज - गो०९९१९५०६४९९
- रातिली देवी पत्नी शिव नरायण गो०-९१६१५०८३२४
- गंगोली देवी पत्नी धेंग कुमार गो०-८५४३०३६९६७
- सीमा देवी पत्नी महावीर झोर्या गो०-८२३३९५३५४०
- धरभावती पत्नी रम उजागिर गो०-९४३९०३५९९३

पप ऑफरेटर का नाम और फोन नंबर:

पत्नी- मालिक राम पुत्र शिव पुसाद ९५६९६७००६३

१८८८

२१८२८५

प्रधान  
ग्राम पंचायत-चिंचूड़ी संहगिया  
न्याय पंचायत-टेढ़वा तप्पा बाँक  
विठ्ठल-गैण्डास बुर्जग  
तहसील-उतरीला जनपद

मध्यक  
P.C

२१८२८५  
प्रधान  
ग्राम पंचायत-चिंचूड़ी संहगिया  
न्याय पंचायत-टेढ़वा तप्पा बाँक  
विठ्ठल-गैण्डास बुर्जग  
तहसील-उतरीला जनपद